

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर
क्रमांक: एफ.3()/वृ.क./सान्याअवि/2025-26/
जयपुर, दिनांक:-

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

राज्य में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की पालना में वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिकोण से राजकीय वृद्धाश्रम, जोधपुर स्थित भवन में प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों के माध्यम से राज्य सरकार एवं चयनित संस्था के मध्य (मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरटेकिंग M.O.U.) के आधार पर वृद्धाश्रम (Old Age Home) का संचालन किया जाना है।

राज्य सरकार द्वारा स्वयंसेवी संस्था की महत्वपूर्ण भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए वृद्ध कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ ट्रस्ट/स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर को दिनांक 10 मई 2025 तक प्रस्तुत कर सकेंगी। वृद्धाश्रम का संचालन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना होगा।

अन्य जानकारी हेतु कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जोधपुर में संपर्क किया जा सकता है एवं विस्तृत दिशा-निर्देशों का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://sje.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Document certified by Bachanesh Kumar
Agrawal <bachanesh@yahoo.com>.

Digitally Signed by
Bachanesh Kumar Agrawal
Designation: Director
Date :07-04-2025 04:27:20

R:\DigiGOV\Rajasthan\FileSystemDMSStore\DigiGOV\Intranet\PDF\
14638375_13368241795779425.docx 1